

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

[21/7/2017]

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रश्न सं. [क.1182]

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 6 /08/2016

क्रमांक एफ 01- 25/2016/20-1 :: वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.15 द्वारा शासकीय महिला सेवकों को 730 दिवस का संतान पालन अवकाश का प्रावधान किया गया है।

राज्य शासन एतद्वारा स्पष्ट करता है कि उक्त संतान पालन अवकाश की पात्रता अध्यापक संवर्ग के महिलाओं को नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

6/8/16

पृ. क्रमांक एफ 1- 25/2016/20-1

भोपाल, दिनांक 6 /08/2016

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
 - 2 निज सचिव, मान.मंत्री/राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, म.प्र.भोपाल
 - 3 अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 - 4 प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
 - 5 आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल
 - 6 आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.
 - 7 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.
 - 8 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
 - 9 जनसम्पर्क अधिकारी जिला भोपाल
 - 10 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र.
 - 11 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म.प्र.
 - 12 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 15 आर्डर बुक।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

6/8/16

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल